

उपायुक्त का कार्यालय, कोडरमा।

(जिला भू-अर्जन शाखा)

सूचना

दिनांक:-04.09.2021

नाम:- सहजादी खातुन

पिता/पति:- मुजीब अहमद

गाँव:-असना, कोडरमा।

वजरिये इस नोटिस के द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा-असना, थाना सं0-245 थाना-तिलैया में NH-31 के 4-लेनिंग चौड़ीकरण हेतु खाता सं0-12 प्लॉट सं0-1304 पर अवस्थित भूमि एवं संरचना का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय के अवॉर्ड सं0-01(ग) दिनांक:-03.05.2021 के द्वारा आपको पूर्ण मुआवजा का भुगतान किया जा चुका है।

अतएव आपको निदेश दिया जाता है कि दिनांक-10.09.2021 तक निश्चित रूप से संरचना को हटा लें अन्यथा उसे बल-पूर्वक हटा दिया जायेगा, जिसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।



जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
सह-समक्ष पदाधिकारी,
एन0एच0-31, कोडरमा।

सहजादी खातुन

कोडरमा समाहरणालय, कोडरमा

कार्यालय जिला भू-अर्जन पदाधिकारी-सह-सक्षम प्राधिकारी
(भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम-1956 के अन्तर्गत) कोडरमा।

संशोधित नोटिस

एन0एच0 एक्ट-1956 की धारा 3A के अन्तर्गत

स्थान:-कोडरमा

संख्या:-1182

दिनांक.....16/07/2021

भू-अर्जन वाद सं0:-09/2014-15

पंचाट की संख्या:-2(xii)

पंचाटी का नाम:-सहजादी खातुन पति-मुजीब अहमद साकिन-असना।

वजरीये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि आपके दावे के अनुसार निम्न वर्णित भूमि का अधिग्रहण एन0एच0 एक्ट-1956 के तहत बरही से रजौली तक फोरलेन चौड़ीकरण परियोजना अन्तर्गत अधिग्रहण किया गया है, जिसके विरुद्ध आपको मो0-3,25,393.00 (तीन लाख पच्चीस हजार तीन सौ तिरानबे रूपये) दिया जाना निर्धारित किया गया है। यदि आपको लेना मंजुर हो तो आप स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से अर्जित की जाने वाली भूमि का अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत स्वामित्व एवं दखल से संबंधित प्रमाण पत्र एवं निम्नलिखित कागजातों के साथ दिनांक.22/07/2021 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि आप उपस्थित नहीं हो सके तो ब्याज नहीं दिया जायेगा। सभी प्रपत्रों के जाँचोपरांत मुआवजा भुगतान हेतु कार्रवाई की जायेगी।

आपके द्वारा गलत दावा किये जाने पर आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

मौजा का नाम /थाना का नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	अर्जित रकवा (एकड़ में)	भूमि का किस्म
असना/245	21	1301	0.0060	आवासीय

आवश्यक कागजात

01. अद्यतन लगान रसीद
02. केवाला का छायाप्रति
03. खतियान का प्रति
04. शपथ पत्र
05. बन्ध पत्र(अनुमण्डल दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत)
06. बैंक पासबुक का छायाप्रति
07. दो फोटो पासपोर्ट साईज
08. मतदता पहचान पत्र
09. आधार कार्ड
10. वंशावली(अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत)
11. पैन कार्ड
12. भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (L.P.C) (अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत)

David
Am



सक्षम प्राधिकारी-सह-
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
कोडरमा।
(एन0एच0 एक्ट-1956 के तहत)

مشیر ادی غا لزن

कोडरमा समाहरणालय, कोडरमा

कार्यालय जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सह सक्षम प्राधिकारी
(भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1956 के अन्तर्गत) कोडरमा।

संशोधित नोटिस

एन0एच0 एक्ट-1956 की धारा 31 के अन्तर्गत

स्थान:-कोडरमा

संख्या: 1408

दिनांक: 09/12/2020

भू-अर्जन चाद सं0:-09/2014-15

पंचाट की संख्या:-1(ग)

पंचाटी का नाम:- सहजायी खातून पति-मुजीब अहमद साकिन-असना।

वजरीये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि आपके दावे के अनुसार निम्न वर्णित भूमि का अधिग्रहण एन0एच0 एक्ट-1956 के तहत बरकी से रजौली तक फोरलेन चौड़ीकरण परियोजना अन्तर्गत अधिग्रहण किया गया है, जिसके विरुद्ध आपको मो0-10,86,006.00 (दस लाख छियासी हजार छः रुपये) दिया जाना निर्धारित किया गया है। यदि आपको लेना मंजूर हो तो आप स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से अर्जित की जाने वाली भूमि का अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत स्वागित्व एवं दखल से संबंधित प्रमाण पत्र एवं निम्नलिखित कागजातों के साथ दिनांक 16/12/2020 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि आप उपस्थित नहीं हो सके तो ब्याज नहीं दिया जायेगा। सभी प्रपत्रों के जीचोपरीत मुआवजा भुगतान हेतु कार्रवाई की जायेगी।

आपके द्वारा गलत दावा किये जाने पर आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

मौजा का नाम / धाना का नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	अर्जित रकमा (एकड़ में)	भूमि का किस्म
असना/245	12	1304	0.0075	आवासीय

आवश्यक कागजात

01. अद्यतन लगान रसीद
03. खतियानी हो तो खतियान
05. बन्ध पत्र (कार्यपालक दफ्तरी)
07. दो फोटो पासपोर्ट साईज
09. आधार कार्ड
11. पैन कार्ड



02. कंबाला का छायाप्रति
04. शपथ पत्र
06. बैंक पासबुक का छायाप्रति
08. मतदता पहचान पत्र
10. संशालनी (अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत)
12. भू-स्वागित्व प्रमाण पत्र (L.P.C) (अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत)

Daud Amin

31/12/20
2020
8-12-20

[Signature]
सक्षम प्राधिकारी-सह-
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
कोडरमा।

(एन0एच0 एक्ट-1956 के तहत)

مستند اسناد